सं0-24/2026//001-316-23-12-2026-2014677

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2026**

विषय:-केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद रामपुर में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर के अन्तर्गत अहरो बंगाली कालोनी मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य पर जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-7031(1)बी जी/सीआरएफ/2025-25, दिनांक 11.09.2025, पत्र सं0-10191बीजी/जी0एस0टी0-सीआरएफ/2025-26, दिनांक 22.12.2025 तथा पत्र सं0-13028 बीजी/जी0एस0टी0-सीआरएफ/2025-26, दिनांक 07.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-57/2021/494/23-12-2021-ई0एफ0-36/2021, दिनांक 23.11.2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य की लागत रू0 2798.98 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ अठानबे लाख अठानबे हजार मात्र) की प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2921.69 लाख (रूपये उनतीस करोड़ इक्कीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद- रामपुर में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर के अन्तर्गत अहरो बंगाली कालोनी मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पर अधोलिखित तालिका के कॉलम-7 में अंकित पुनरीक्षित लागत से सम्बन्धित धनराशि के सापेक्ष कालम-8 में अंकित जी0एस0टी0 हेतु देय धनराशि रू0 134.16 लाख (रूपये एक करोड़ चौतीस लाख सोलह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

सं0	मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	जी0एस0टी0 हेतु मांग	परियोजना पुनरीक्षित लागत	जीएस0टी0 हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	57/2021/494/23-12-2021-ई0एफ0-36/2021, दिनांक 23.11.2021	जनपद- रामपुर में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर के अन्तर्गत अहरो बंगाली कालोनी मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2798.98	2787.53	134.16	2921.69	**134.16**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) कार्याललय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग प्रश्नगत जी0एस0टी0 की गणना के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(4) जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(9) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रश्नगत पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश के क्रम में निर्गत की जा रही है तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,34,16,000 (रूपये एक करोड़ चौतीस लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000421 सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों के लिए व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-24/2026//001-316(1)-23-12-2026-2014677तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर।

8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर ।

9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु0-2

11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुन्जय गुप्ता)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।